167. सरकारी लोक उद्यमों में बोर्ड स्तर के पद – अनुसूचित पदों के वेतनमान में 1.1.1992 से संशोधन

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च स्तर के पदों अर्थात निदेशक मण्डल स्तर के पदों पर आसीन कार्यपालकों के वेतन मानों में पिछली बार 1.1.87 से संशोधन किया गया था। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अनुसूचित पदों अर्थात निदेशक मण्डल स्तर के पदों के वेतनमानों में 1.1.1992 से निम्न प्रकार से संशोधन किया गया है :–

		मौजूदा	संशोधित
1.	अनुसूची क	9000–250–10000	13000–500–15000
2.	अनुसूची ख	8500–200–9500	12000–400–14000
3.	अनुसूची ग	7500–200–8500	10000–400–12000
4.	अनुसूची घ	6500–175–7550	9000–300–10500

उपर्युक्त वेतनमान 5 वर्षों तक के लिए अर्थात् 31.12.96 तक मान्य होंगे।

2. फिटमेंट लाभ एवं फिटमेंट विधि अनुबंध–1 में बताए गए अनुसार होगी।
3. संशोधित वेतनमान में बोर्ड स्तर के पदों में 1.1.92 तक ए आई सी पी आई –1099 में औद्योगिक म.भ. शून्य होगा। 1.1.92 तक औ.म.भ. के रूप में आहरित 787.75 रू. की राशि संशोधित वेतन में मिला दिए जाने पर बोर्ड स्तर के पदों पर 1.4.92 से देय महंगाई भत्ता नए महंगाई भत्ते की स्कीम के अनुसार होगा। स्कीम का विस्तृत विवरण अनुबंध–II में दिया गया है।
4. यहां इसके बाद बोर्ड स्तर के पदों की सभी नई नियुक्तियां नए संशोधित वेतनमान और म.भ. की स्कीम के अनुसार की जाएंगी जैसा कि उपर्युक्त पैरा 1 और 3 में दिया गया है।
5. (i) किराए की रसीद प्रस्तुत किए बिना म.कि.भ. के भुगतान की अधिकतम सीमा तारीख 3.3.92 की का.ज्ञा. संख्या 2(8)91–लो.उ.वि. (डब्ल्यू सी) के पैरा 4 के उप पैरा (ii) एवं (iv) में दर्शाए गए पट्टे के आवास के लिए अधिकतम वित्तीय सीमा 1.4.94 से संशोधित मानी जाएगी, जैसा कि अनुबंध III में विवरण दिया गया है कि कुरसी क्षेत्र की अधिकतम सीमा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। संशोधित वित्तीय सीमा अंशकालिक अध्यक्ष के लिए थी, 1.4.94 से लागू होगी जिनके लिए लोक उद्यम द्वारा पट्टे के आवास की व्यवस्था की गई है।

(ii) लोक उद्यमों द्वारा प्रदान किए गए सज्जित और असज्जित आवास के किराए की वसूली 3.3.92 के का.ज्ञा. संख्या 2(8)/91–लो.उ.वि. (डब्ल्यू सी) के पैरा 4 के क्रमशः उप पैरा (x) एवं (xii) में दिए गए विवरण के अनुसार की जाएगी। संशोधित वेतन पर किराए की वसूली 1.4.94 से परिकलित की जाएगी।

6. 1.1.92 से 31.8.92 तक की अवधि के लिए म.कि.भ. पट्टे पर आवास एवं किराए की वसूली का परिकलन किया जाएगा और संशोधन पूर्व मूल वेतन पर भुगतान किया जाएगा।

कार्यपालकों को दी गई स्टाफ कार द्वारा ड्यूटी से इतर यात्राओं के लिए वसूली की मासिक दर वर्तमान दर के अनुसार ही बनी रहेगी जैसा कि इस विभाग के तारीख 1.4.89 के का.ज्ञा. संख्या 4(12)/82 बीपीई.(डब्ल्यू सी) के पैरा 7 में बताया गया है। नगर प्रतिकर भत्ते का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा।

शहरों का वर्गीकरण	''क'' श्रेणी के शहर	ख–1 शहर	ख–2 शहर
दर जिस पर नगर प्रतिकर भत्ता देय है	*मूल वेतन का 6 प्रतिशत अधिकतम 100/– रू.	*मूल वेतन का 4.5 प्रतिशत अधिकतम 75/– रू.	*मूल वेतन का 3.5 प्रतिशत अधिकतम 20/–रू.

7. जहां कहीं सरकार के पूर्व अनुमोदन के लोक उद्यमों द्वारा उत्पादकता प्रोत्साहन योजना शुरू की गई, वहां मौजूदा उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन लाभ के भुगतान में भी बोर्ड स्तर के पदाधिकारियों के मामले में वृद्धि की जाएगी।

8. प्रशासनिक मंत्रालयों से अनुरोध किया जाता है कि वे बोर्ड स्तर के उन पदाधिकारियों का वेतन निर्धारित करें जो उपर्युक्त तरीके से 1.1.92 तक अपने उद्यमों में थे और तारीख 14.2.98 को लोक उद्यम ब्यूरो के अर्धशासकीय पत्र संख्या 1/1/89–लो.उ.ब्यू (एस एवं ए) प्रकोष्ठ और डी ओ पी टी कार्यालय ज्ञापन सं. 27(14)/ईओ–89 ए सी सी तारीख 6.12.89 में विहित मौजूदा अनुदेशों के अंतर्गत यथापेक्षित और अनुबंध–IV में बनाई गई प्रक्रियानुसार पुनरीक्षण के लिए अपनी फाइल लोक उद्यम विभाग को अग्रेषित करें।

9. बी आई एफ आर में पंजीकृत रूग्ण लोक उद्यमों के लिए वेतन संशोधन और अन्य लाभों की अनुमति सिर्फ तभी दी जाएगी यदि यूनिट को बनाए रखने का निर्णय लिया जाता है। इस आधार पर रूग्ण उद्यमों का पुनर्रूद्धार करने के पैकेज में बढ़ी हुई देयता को भी शामिल करना चाहिए। वेतन संशोधन आदि का लाभ आई आई एस सी ओ तक होगा और इसकी वित्तीय देयता को एस ए आई एल द्वारा पूरा किया जाएगा।

10. जैसा कि तारीख 17.1.1994 के ज्ञापन के साथ पठित 12.4.1993 के कार्यालय ज्ञापन में निहित है वेतन वार्ता के पाचवें दौर में नई वेतन नीति में मूलतः इस बात पर जोर दिया गया है कि लोक उपक्रमों को स्वतः ही अपने संसाधन पैदा करने चाहिए जिससे कि वेतन संशोधन के कारण बढ़ी हुई देयता के खर्च को पूरा किया जा सके और सरकार द्वारा इन्हें किसी प्रकार की बजट संबंधी सहायता नहीं दी जाएगी। लोक उद्यमों में बोर्ड स्तर के पदों के वेतनमान में संशोधन के मामले में भी इसी बात पर जोर देने से स्थिति अनुकूल होगी, जैसा कि लोक उद्यम विभाग के पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापन में दिया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुबंध–IV में दी गई प्रक्रिया का सावधनीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए और संशोधित वेतनमान प्रदान करने के लिए किसी प्रकार की बजट संबंधी सहायता नहीं दी जाएगी। संबंधित प्रबंध/प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग स्वयं अपने आंतरिक उत्पादन से अपेक्षित संसाधन उपलब्ध कराएंगे। इनके अपने माल एवं सेवाओं के लिए लागू कीमतों में किसी प्रकार की स्वतः वृद्धि भी नहीं होनी चाहिए।

11. इसलिए सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे 1.1.1992 से अनुसूचित पदों के वेतनमान में उपर्युक्त उल्लिखित संशोधनों को लागू करने के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत संबंधित लोक उद्यमों के लिए संलग्न पैरा (अनुबंध–V) के अनुसार राष्ट्रपति के निर्देश जारी करें। जारी किए गए निर्देश की प्रति लोक उद्यम विभाग को भेजी जाए।

***

अनुबंध–I

फिटमेंट विधि

फिटमेंट विधि निम्न प्रकार से होगी

संशोधित वेतनमान से मूल वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा।

(क) 1.1.92 को मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन।

(ख) ए आई सी पी आई 1099 पर 1.1.92 के अनुसार वास्तविक महंगाई भत्ता।

(ग) वेतन संशोधन के कारण बनने वाली फिटमेंट राशि 31.12.91 को मौजूदा वेतनमान में वेतनमान के 20 प्रतिशत तक होगी। (फिटमेंट चिकित्सा कार्यपालकों को देय एन पी ए पर परिकलित नहीं किया जाए)।

(घ) वैयक्तिक वेतन/वैयक्तिक भत्ता/वैयक्तिक महंगाई भत्ता जहां भी मौजूदा मूल वेतन के साथ देय है।

संशोधित वेतनमान में निर्धारित कुल वेतन पर, जहां योग संशोधित वेतनमान के किसी चरण में फिट नहीं बैठता वहां वेतन अगले उच्चतर चरण पर निर्धारित किया जाएगा।

यदि कुछ मामलों में उपर्युक्त (क) से (घ) का योग संशोधित वेतनमान के अधिकतम से अधिक बैठता है या जहां कहीं भी संशोधित वेतनमान के अनुसार निर्धारित मूल वेतन दिनांक 1.1.1992 की स्थिति के अनुसार किसी कार्यपालक/गैर संघीकृत पर्यवेक्षक को तीन वेतनवृद्धियों की अनुमति नहीं देता तो ऐसी स्थिति में संबंधित कार्यपालक या गैर संघीकृत पर्यवेक्षक का वेतन, वेतनमान के अधिकतम से तीन चरण नीचे निर्धारित किया जाना चाहिए और शेष राशि को वैयक्तिक वेतन (पीपी) माना जाना चाहिए। अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नति अर्थात इस प्रयोजनार्थ केवल उसके मूल वेतन को ही हिसाब में लिया जाएगा। वैयक्तिक वेतन को योग में अग्रनीत करने की अनुमति होगी और इसे अगले वेतन संशोधन में समायोजित किया जाएगा। इस संबंध में डी पी ई द्वारा पी एस ई को अनुदेश जारी किए जाएंगे।

***

अनुबंध–II

सार्वजनिक क्षेत्र महंगाई भत्ता योजना

महत्वपूर्ण पहलू:

(क) 1960=100 (ए आई सी पी आई पर आधारित औद्योगिक श्रमिकों (साधारण) के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को महंगाई की प्रतिपूर्ति करने के लिए किया जाता है।

(ख) महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष में चार बार अर्थात् पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्टूबर को जारी की जाएगी।

(ग) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1099 के तिमाही सूचकांक औसत से अधिक की वृद्धि के लिए महंगाई भत्ता अदा किया जाएगा जिससे संशोधित वेतनमान संबंधित है।

(घ) फरवरी, मई, अगस्त और नवंबर को समाप्त अवधि के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1099 के सूचकांक से अधिक की प्रतिशत वृद्धि को एक दशमलव बिंदु तक लिया जाएगा।

(ड.) सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को, 1099 के सूचकांक औसत पर मूल वेतन पर दी जाने वाली प्रतिपूर्ति दर संपूर्ण अंकों में है और इसके भागों को अग्रनीत किया जाता है।

(च) भिन्न वेतन श्रेणियों में कर्मचारियों के प्रतिशत का निष्प्रभावीकरण इस प्रकार होगाः–

वेतन श्रेणियां – मूल वेतन	निष्प्रभवीकरण प्रतिशत
3500 रू. तक	100* सीमांत समायोजन के अंतर्गत
3501 रू. से 6500 रू.	75 सीमांत समायोजन के अंतर्गत
6501 रू. से 9500 रू.	60 सीमांत समायोजन के अंतर्गत
9501 रू. तथा अधिक	50 सीमांत समायोजन के अंतर्गत

*दिनांक 1.1.92 से ए.आई.सी.पी.आई त्रैमासिक औसत में 1099 से अधिक होने पर न्यूनतम 2/– रु. प्रति प्वाइंट शिफ्ट के अंतर्गत की शर्त के आधार पर।

पाद टिप्पणी–I

तिमाही औसतों को निम्नलिखित तरीके से परिकलित किया जाएगा

तिमाही औसत	से देय
सितंबर, अक्टूबर तथा नवंबर	पहली जनवरी
दिसंबर, जनवरी और फरवरी	पहली अप्रैल
मार्च, अप्रैल और मई	पहली जुलाई
जून, जुलाई और अगस्त	पहली अक्टूबर

पाद टिप्पणी–II

सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 1991 माह के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1099 रूपए निकला और 1.1.92 से स्वीकार्य दरों पर आई डी ए योजना के अंतर्गत स्वीकार्य महंगाई भत्ता मूल वेतन में विलयित कर दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए विकसित नए फार्मूले के अंतर्गत स्वीकार्य महंगाई भत्ता 1.1.92 को शून्य होगा महंगाई भत्ते की पहली किश्त 1.4.92 से देय होगी।

उदाहरण दर्शाने वाला विवरण–प्रतिशत महंगाई भत्ता योजना के अंतर्गत निकाली जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि

	3500 रू. प्रति माह तक का मूल वेतन	3500 रू. प्रति माह से अधिक और 6500 रू. प्रतिमाह तक का मूल वेतन	6500 रू. प्रति माह से अधिक और 9500 रू. प्रतिमाह तक का मूल वेतन	9500 रू. प्रति माह से अधिक मूल वेतन
प्रतिशत निष्प्रभावीकरण	100	75	60	50
तिमाही गणितीय औसत	1099	1099	1099	1099
फरवरी 1992 को समाप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1.4.92 से देय (1121 प्वाइंट)	वेतन का 2 प्रतिशत 44 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 1.5 प्रतिशत 70 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 1.2 प्रतिशत 98 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 1 प्रतिशत 114 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन
मई, 1992 को समाप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1. 7.92 से देय (1141 प्वाइंट)	वेतन का 3.8 प्रतिशत 84 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 2.8 प्रतिशत 134 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 2.3 प्रतिशत 182 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 1.9 प्रतिशत 219 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन
अगस्त, 1992 को समाप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1.10.92 से देय (1183 प्वाइंट)	वेतन का 7.6 प्रतिशत 168 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 5.7 प्रतिशत 266 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 4.6 प्रतिशत 371 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 3.8 प्रतिशत 437 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन
नवम्बर, 1992 को समाप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1.1.93 से देय (1202 प्वाइंट)	वेतन का 9.46 प्रतिशत 206 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 7 प्रतिशत 329 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 5.6 प्रतिशत 455 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 4.7 प्रतिशत 532 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन
फरवरी, 1993 को समाप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1.4.93 से देय	वेतन का 8.5 प्रतिशत 188 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 6.4 प्रतिशत 298 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 5.1 प्रतिशत 416 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 2 प्रतिशत 485 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन

(1193 प्वाइंट)				
मई, 1993 को समाप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1. 7.93 से देय (1207 प्वाइंट)	वेतन का 9.8 प्रतिशत 216 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 7.3 प्रतिशत 343 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 5.9 प्रतिशत 475 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 4.9 प्रतिशत 561 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन
अगस्त, 1993 को समाप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1.10.93 से देय (1248 प्वाइंट)	वेतन का 13.5 प्रतिशत 298 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 10.1 प्रतिशत 473 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 8.1 प्रतिशत 657 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 6.7 प्रतिशत 770 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन
नवम्बर, 1993 को समाप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1.1.94 से देय (1292 प्वाइंट)	वेतन का 17.6 प्रतिशत 386 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 13.2 प्रतिशत 616 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 10.6 प्रतिशत 858 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 8.8 प्रतिशत 1007 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन
फरवरी, 1994 को समाप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1.4.94 से देय (1302 प्वाइंट)	वेतन का 18.5 प्रतिशत 406 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 13.9 प्रतिशत 648 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 11.1 प्रतिशत 904 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 9.2 प्रतिशत 1055 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन
मई, 1994 को समाप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1. 7.94 से देय (1328 प्वाइंट)	वेतन का 20.8 प्रतिशत 458 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 15.6 प्रतिशत 728 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 12.5 प्रतिशत 1014 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 10.4 प्रतिशत 1188 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन
अगस्त, 1994 को समाप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1.10.94 से देय (1384 प्वाइंट)	वेतन का 25.9 प्रतिशत 570 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 19.4 प्रतिशत 907 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 15.5 प्रतिशत 1261 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 12.9 प्रतिशत 1473 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन
नवम्बर, 1994 को समाप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1.1.95 से देय (1427 प्वाइंट)	वेतन का 29.8 प्रतिशत 656 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 22.3 प्रतिशत 1043 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 17.9 प्रतिशत 1450 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 14.9 प्रतिशत 1701 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन
फरवरी, 1995 को समाप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1.4.95 से देय (1429 प्वाइंट)	वेतन का 30 प्रतिशत 660 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 22.5 प्रतिशत 1050 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 18 प्रतिशत 1463 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन	वेतन का 15 प्रतिशत 1710 रू. न्यूनतम के अध्ययधीन

अनुबंध–III

विषय :– केन्द्रीय सरकार के उद्यमों के कर्मचारियों को मकान किराए भत्ते का भुगतान और मुख्य कार्यपालक, कार्यात्मक निदेशक एवं अन्य उच्चाधिकारियों के लिए पट्टे पर आवास लेना एवं अन्य किराए की वसूली आदि।

तारीख 3.2.1992 को सचिवों की समिति ने अपनी बैठक में निम्नलिखित दरों पर मकान किराए भत्ते के भुगतान को जारी रखने के डी पी ई के प्रस्ताव को अनुमोदित किया :

दिल्ली, बम्बई	मूल वेतन का 30 प्रतिशत
अन्य ''क'' श्रेणी के शहर	मूल वेतन का 25 प्रतिशत
ख–1, ख–2 श्रेणी के शहर	मूल वेतन का 15 प्रतिशत
ग, श्रेणी एवं अन्य अवर्गीकृत क्षेत्र	मूल वेतन का 10 प्रतिशत

तथापि उपर्युक्त दरों में म.कि.भ. का भुगतान इस परंतुक के अंतर्गत होगा कि इस तरह के कर्मचारी/कार्यपालक मकान किराया भत्ते के लिए अपने मूल वेतन से 10 प्रतिशत अदा करेंगे। भुगतान दखल किए गए मकान के लिए अपने मकान मालिक से किराए की रसीद प्रस्तुत करने/नगर निगम द्वारा जारी किए गए मूल्यांकन प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा, उपर्युक्त निर्दिष्ट की गई हर अधिकतम सीमा में होगी। यदि कुछ लोक उद्यम मान्यता प्राप्त यूनियन के कर्मचारी और गैर यूनियन के पर्यवेक्षक निर्वाह वेतन निर्धारण के साथ समझौते के अंतर्गत उन दरों पर म.कि.भ. का भुगतान करने के लिए सहमत होते हों जो उपर्युक्त मानदंडों की अपेक्षा अधिक अथवा कम हो तो उनके मामले पर मान्यताप्राप्त यूनियन के कर्मचारी वर्ग और गैर यूनियन के कर्मचारी वर्ग के साथ किए गए वेतन निर्धारण/समझौते की मान्यता अवधि के दौरान पुनःविचार करने की आवश्यकता नहीं हो तथापि जैसा कि ऊपर बताया गया है, म.कि.भ. के भुगतान की अधिकतम सीमा में संपूर्ण वेतन/वेतन पैकेज के अनुसार कार्यपालकों के अन्य सभी वेतन निर्धारण/वेतन संशोधन को भी शामिल किया जाना चाहिए। यदि संशोधित मानदंडों के आधार पर निकाले गए म.कि.भ. की राशि के परिणाम स्वरूप संबंधित कर्मचारी को कम भुगतान हो तो मौजूदा वेतन भुगतान अधिकारियों के वेतन संशोधन समझौते के अनुसार किसी कार्यपालक अथवा किसी कर्मचारी को भुगतान किए जाने वाले म.कि.भ. की राशि अलग–अलग कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत तौर पर संरक्षित की जा सकती है।

किराए की रसीद प्रस्तुत किए बिना मकान किराया भत्ते :

कार्यपालकों और असंबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए मकान किराए की रसीद प्रस्तुत किए बिना, म.कि.भ. के भुगतान की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित औ.म.भ. पैटर्न को 1.4.1994 से निम्न प्रकार संशोधित किया जाएगा।

क्र.सं.	शहर	आई डी ए लोक उद्यम		सी डी ए लोक उद्यम
		रू. प्रस्तावित	रू. मौजूदा	रू. मौजूदा
1	दिल्ली मुंबई	1500	1000	1250
2	अन्य ''क'' श्रेणी के शहर	1500	1000	1000
3	''ख'' और ''ख–2'' श्रेणी के शहर	1500	1000	680
4	''ग'' श्रेणी के शहर	750	500	340
5	अवर्गीकृत क्षेत्र	450	300	310

उन कर्मचारियों के लिए किराए की रसीद प्रस्तुत किए बिना म.कि.भ. भुगतान की अधिकतम सीमा में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी जो डी ए पैटर्न में बने रहते हैं।

पट्टे की आवास की अधिकतम सीमा

सरकारी उद्यम विभाग के ता. 3.3.92 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4 के पैरा (iv) एवं (v) में दर्शाए गए पट्टे पर आवास के लिए संशोधन पूर्व वेतनमानों के आधार पर दी गई वित्त संबंधी सीमाओं को निम्नलिखित सारणी में दिए गए विवरण के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

बोर्ड स्तर के पदों और बोर्ड स्तर से नीचे कार्यपालकों के संबंध में पट्टायुक्त आवास के लिए 1.4.1994 से अधिकतम वित्तीय सीमा जिसे संशोधन पूर्व वेतनमानों के आधार पर निकाला गया है, उसे निम्नलिखित सारणी में दिए गए विवरण के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के पट्टायुक्त आवास की अधिकतम वित्तीय सीमा

वेतनमान	कुरसी क्षेत्र	संशोधित अधिकतम सीमा				
		क श्रेणी के शहर		अन्य 'क' श्रेणी के शहर	अन्य 'ख' श्रेणी के शहर	अन्य 'ग' श्रेणी के शहर
		दिल्ली मुंबई	कलकत्ता चेन्नई			
रू0	वर्ग फुट	रू0	रू0	रू0	रू0	रू0
13000–15000	1900	10500	9750	9000	8250	6750
12000–14000	1900	9800	9100	8400	7700	6300
10000–12000	1700	8400	7800	7200	6600	5400
9000–10500	1700	7400	6900	6300	5800	4800

***

अनुबंध–IV

सरकारी उद्यमों द्वारा औद्योगिक महंगाई भत्ता के तरीके (पैटर्न) के आधार पर नए वेतनमानों के अनुमोदन और स्वीकृति की प्रक्रिया

लाभ पहुँचाने वाले सरकारी उद्यम, घाटे वाले सरकारी उद्यम और बी आई एफ आर के समक्ष सरकारी उद्यम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के उपबंध के अंतर्गत लोक उद्यमों को सरकार के रूप में माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने हाल के कुछ वर्षों में एक लोक उद्यम के वेतनमान से दूसरे लोक उद्यम के वेतनमान में समानता लाने अथवा विसंगतियों को दूर करने का निर्देश दिया है। इसलिए किसी प्रकार के विवाद को दूर करने की दृष्टि से यह प्रस्ताव किया गया है कि शीर्ष पदों के अधिकारी, बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और असंबद्ध पर्यवेक्षकों का वेतनमान सभी लोक उद्यमों में एक समान होगा चाहे वे लाभ कमाने वाले उद्यम हों या घाटे वाले उद्यम हों। इसके विपरीत कामगार, कार्यपालक और सरकार के प्रति लोक उद्यमों के स्वामी के तौर पर बोर्ड के सदस्यों की जवाबदेही और जिम्मेदारी है। अतः कम से कम वाले लोक उद्यमों और बी आई एफ आर के समक्ष लोक उद्यमों और किसी प्रकार के विचलन के मामलों में इनकी हकदारी के बारे में सरकार द्वारा स्पष्ट किया जाना आवश्यक हो तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

(क) लोक उद्यम जो लगातार 3 वर्षों अर्थात 1991–92, 1992–93 और 1993–94 से लाभ कमा रहे हों इन उद्यमों के बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और असंबद्ध पर्यवेक्षकों को अनुबंध–I में दिए गए वेतनमान लागू करने की अनुमति होगी।

(ख) वे लोक उद्यम जिनसे पिछले 3 वर्षों में किसी प्रकार का लाभ न हो रहा हो वे लोक उद्यम जो पिछले 3 वर्षों से अर्थात् 1991–92, 1992–93 एवं 1993–94 से लगातार घाटे में रहे हैं अथवा इन वित्तीय वर्षों में किसी भी एक वर्ष में इन्हें निवल घाटा हुआ हो, इन्हें भी बोर्ड के स्तर से नीचे के कार्यपालकों और गैर यूनियन वाले पर्यवेक्षकों के लिए इन वेतनमानों को स्वीकार करने की अनुमति दी जाएगी और यह अनुमति सरकार अर्थात संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय और लोक उद्यम विभाग से परामर्श करके दी जाएगी बशर्ते कि वे इस प्रकार आंकलन प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा ऐसे कौन से संशोधन तैयार किए जाएंगे जिससे कि वे इस प्रकार के अतिरिक्त खर्च को पूरा करेंगे।

(ग) **रूग्ण लोक उद्यम** – रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 को संशोधित किया गया है और लोक उद्यमों को इसके अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया है। लगभग 50 लोक उद्यमों को बी आई एफ आर में पंजीकृत किया गया है। नए विकास को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव दिया जाता है कि उन बी आई एफ आर के समक्ष प्रस्तुत किए गए लोक उद्यमों को तब तक अपने बोर्ड स्तर के कार्यपालकों, बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और असंबद्ध वाले पर्यवेक्षकों के लिए संशोधित नए वेतनमान का लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि बी आई एफ आर का कोई निर्णय न मिले। जहाँ बी आई एफ आर ने लोक उद्यम को बंद करने का आदेश दिया है वहां अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मुआवजे का शीघ्र भुगतान करने एवं लोक उद्यमों को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। जहां बी आई एफ आर द्वारा लोक उद्यमों के पुनरूत्थान योजना को अनुमोदित कर दिया गया है वहां बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालक के पद पर कार्य करने वाले बोर्ड स्तर के कार्यपालकों और गैर यूनियन वाले पर्यवेक्षकों को संशोधित वेतनमान स्वीकार करने के प्रस्ताव 1.1.92 से नए महंगाई भत्ते का फार्मूला इन लोक उद्यमों द्वारा लोक उद्यम विभाग के परामर्श से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा बशर्ते कि वे अपने वेतन बिल का विश्लेषण प्रदान करें और अतिरिक्त व्यय भार को पूरा करने के संशोधनों को जुटाने के मापदंडों के बारे में भी बताएं।

(घ) **निर्माणाधीन लोक उद्यम अथवा नए लोक उद्यम**– आठ लोक उद्यम निर्माणाधीन हैं कुछ लोक उद्यमों का सृजन मौजूदा स्थापना अर्थात् पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के विलय द्वारा हुआ है। इस तरह के लोक उद्यमों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की संभावित तारीख देते हुए लोक उद्यम विभाग के परामर्श से अपने प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदनार्थ और बोर्ड स्तर के कार्यपालकों एवं बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए संशोधित वेतनमान एवं म.भ. के पैटर्न को स्वीकृति के लिए अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत करना चाहिए।

(ड.) **जहां मामला न्यायाधीन है** – तारीख 3.5.90 और 28.8.91 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अब तक सी डी ए पैटर्न लागू होने वाले 69 लोक उद्यमों के तारीख 1.1.87 अथवा उसके बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों/कार्यपालकों को आई डी ए पैटर्न एवं सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान में रखा गया है। अन्य दूसरे कुछ लोक उद्यमों में कार्यपालक एसोसिएशनों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर पुनर्विचार के लिए और एच पी सी सी के अनुसार वेतनमान और म.भ. के पैटर्न पर वेतन आहरण की अनुमति प्रदान करने के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन किया है। संशोधित वेतनमान और म.भ. का नया फार्मूला भी जिसमें जिसे अन्य सभी लोक उद्यमों द्वारा अधिसूचित किया गया है, इनके द्वारा अपनी इच्छानुसार विकल्प के तौर पर किया जा सकता है। यह वेतनमान और म.भ. का पैटर्न डी.टी.सी. पर लागू नहीं होगा क्योंकि इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेशानुसार सरकारी वेतनमान और म.भ. के पैटर्न में बनाए रखा गया है।

(च) लोक उद्यम के तारीख 12.4.93 एवं 17.1.94 के का.ज्ञा. में मान्यता प्राप्त यूनियन के कामगारों के साथ वेतन–वार्ता के लिए निर्धारित शर्तें उपर्युक्त वेतन संशोधन में पूरी की जानी चाहिए।

(छ) टिप्पणी में विचार किए जाने वाले मामलों के संबंध में जहां कहीं आवश्यक होगा लोक उद्यम विभाग ब्यौरेवार अनुदेश जारी करेगा।

***

अनुबंध–V

बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के वेतन संशोधन एवं अन्य लाभों के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत केन्द्रीय लोक उद्यमों को जारी किया जाने वाला प्रारूप निर्देशः

बोर्ड स्तर के कार्यपालकों का वेतनमान सरकार द्वारा पिछली बार 1.1.87 से संशोधित किया गया था। अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के लिए 1.1.92 से वेतन संशोधन और अन्य लाभों को राष्ट्रपति के निर्देश के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

2. संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद *.....द्वारा' /– ..... स्थापित (लोक उद्यम का नाम)..... अधिनियम की धारा * ..... द्वारा प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल में राष्ट्रपति ने (लोक उद्यम का नाम) को निर्देश दिया है कि बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के लिए 1.1.92 से वेतन संशोधन एवं अन्य लाभों को कार्यान्वित किया जाए।

* जो लागू न हो उसे काट दें।

(कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(50)/86–लो.उ.वि. (डब्ल्यू सी) तारीख 19 जुलाई, 1995)